# न्यायालय : उपखण्ड अधिकारी भादरा, जिला हनुमानगढ़

**पीठासीन अधिकारी : श्री राजकुमार कस्वां आर.ए.एस.**

**प्रकरण सं0 : 280/2011**

अनवान :

इन्दरा पुत्री चिमनाराम पत्नि जगदीश जाति राजपूत निवासी नुकेरा तहसील संगरिया हाल निवासी नुईयावाली तहसील डबवाली।

**– वादीया**

**बनाम**

1. घीसेखॉ वल्द जमालुदीन व्यापारी निवासी वार्ड संख्या 11 भादरा।
2. रोशनलाल पुत्र बनवारीलाल जाति महाजन निवासी वार्ड संख्या 21 भादरा।
3. कुलदीप पुत्र प्रतापसिंह जाति कलाल निवासी झांसल तहसील भादरा।
4. गोविन्दराम पुत्र नागरमल जाति महाजन निवासी भादरा।
5. मंगनाकंवर बेवा करनीसिंह जाति राजपूत निवासी भादरा।
6. भंवरसिंह पुत्र करनीसिंह जाति राजपूत निवासी भादरा।
7. अनुपसिंह पुत्र करनीसिंह जाति राजपूत निवासी भादरा।
8. प्रतापसिंह पुत्र देवीसिंह जाति राजपूत निवासी भादरा।
9. बृजसिंह पुत्र देवीसिंह जाति राजपूत निवासी भादरा।
10. राजु पुत्र देवीसिंह जाति राजपूत निवासी भादरा।
11. ओमवती बेवा पालसिंह जाति राजपूत निवासी भादरा।
12. रोहताश पुत्र पालसिंह जाति राजपूत निवासी भादरा।
13. सुन्दर पुत्र पालसिंह जाति राजपूत निवासी भादरा।
14. कालु पुत्र पालसिंह जाति राजपूत निवासी भादरा।
15. सार्दुलसिंह पुत्र शोभासिंह जाति राजपुत निवासी भादरा।
16. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार राजस्व भादरा।

**– प्रतिवादीगण**

**दावा बाबत : इस्तकरार हक, दुरूस्ती रिकार्ड एवं स्थाई निषेधाज्ञा**

**उपस्थिति :** वकील श्री दीवानसिंह **: वादिया**

वकील श्री कपूरचन्द शर्मा **: प्रतिवादी सं0 1 व 2**

**निर्णय** **दिनांक :** 20/12/18

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि वादीया एवं प्रतिवादीगण के पंजीबद्व एवं रजिस्टर्ड पते वही है जो वाद पत्र के शीर्षक मे अंकित है। तहसील भादरा के चक 8 बारानी के मुरब्बा नं0 130 के किला नं0 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21 कुल 2.024 हैक्टेयर बारानी कृषि भूमि स्थित है।

उपरोक्त कृषि भूमि में महताब पत्नि सुगनसिंह जाति राजपुत निवासी भादरा का 1/2 हिस्सा खातेदारी था, शेष 1/2 हिस्सा मे जैसा, श्योनाथसिंह पिसरान भोमसिंह व सुगरी बेवा पुर्णसिंह बहिस्सा बराबर 1/2 हिस्सा गैरखातेदारी थी।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला–हनुमानगढ़

महताब वादीया की सगी बुआ थी, महताब के कोई सन्तान नही थी, वादीया महताब के पास आती रहती थी, एवं महताब सगी बुआ होने के कारण वादीया उसकी सेवा चाकरी करती थी। महताब ने वादीया की सेवा से प्रसन्न होकर अपनी समस्त चल अचल सम्पति की एक वसीयत बहक वादीया कस्बा भादरा मे दिनांक 22.11.1996 को बरोबरू गवाहान सुभाष व विनोद लेखबद्ध करवाकर गवाहान के सामने अपने अगुठे कर दिऐ। असल वसीयत संलग्न दावा है। महताब का दिनांक 27.03.1997 को गांव नुकेरा तहसील संगरिया मे मृत्यू हो चुकी, रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु पंचायत समिति संगरिया द्वारा दिनांक 30.03.1997 को जारी मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रति वाद पत्र के साथ संलग्न है।

महताब की मृत्यु होने के पश्चात वादीया इन्दरा चक 8 बारानी मे स्थित 8 किला कृषि भूमि मे महताब का जो 1/2 हिस्सा था, उसमे महताब की मृत्यु होने पर वसीयत दिनांक 22.11.1996 के आधार पर वादीया महताब की जगह 1/2 हिस्सा की कानूनी रूप से खातेदार काश्तकार हो गई। महताब का हित व अधिकार वसीयत के जरिए वादीया इन्दरा मे निहित हो गया।

मु0 राजो महताब की ननद थी, मु0 राजो महताब की कृषि भूमि हड़प करने के लिए महताब को सन् 1977 में मृत दिखा दिया व राजो ने तहसीलदार भादरा के समक्ष महताब की मृत्यु होने बाबत प्रार्थना पत्र पेश कर दिया जिस पर वार्ड सदस्य नगरपालिका भादरा रामस्वरूप ने गलत रूप से महताब पत्नि सुगनसिंह को महताबो पत्नि सुजानसिंह राजपुत की मृत्यु होने की रिपोर्ट कर दी साथ मे महताबो की एक मात्र वारिस मु0 राजो को उसकी पुत्री होना दर्शा दिया, व दिगर वारिस किसी प्रकार का नही होने की रिपोर्ट दिनांक 22.08.1977 को कर दी, उसी रोज महताब की कृषि भूमि का इन्तकाल महताब की जगह मु0 राजा को उसकी पुत्री होना दर्शाते हुवे राजो पुत्री महताब बेवा सुजानसिंह 1/2 हिस्सा मे चक 8 बारानी के इन्तकाल संख्या 51 दर्ज कर दिया। जिसे दिनांक 24.08.1977 को गिरदावर से रिपोर्ट करवाकर दिनांक 26.08.1977 को इन्तकाल नायब तहसीलदार जगमालसिंह द्वारा स्वीकृत कर दिया गया। चुंकि वाद भूमि मु0 महताब के नाम गैरखातेदारी थी जिसे राजो ने अपने नाम फर्जी तौर पर इन्तकाल दर्ज करवाकर बाद मे उसे खातेदारी दर्ज करवा लिया।

राजो की सन् 1996 मे मृत्यु हो चुकी जिसके पश्चात प्रतिवादी संख्या 5 से 15 ने राजो के वारिस दर्शाते हुवे चक 8 बारानी की उक्त 8 किला कृषि भूमि मे राजो का जो 1/2 हिस्सा था उसकी जगह अपना नाम जरिए इन्तकाल नं0 371 अपने नाम दर्ज करा लिया, जिसमे प्रतिवादीया मंगनाकंवर, भंवरसिंह, अनुपसिंह, 1/8 हिस्सा, प्रतापसिंह, बृजुसिंह, राजु 1/8 हिस्सा, ओमवति, रोहताश, सुन्दर, कालु 1/8 हिस्सा, प्रतिवादी सार्दुलसिंह 1/8 हिस्सा खिलाफ कानून तरीके से प्रतिवादी संख्या 5 से 15 ने इन्काल दिनांक 15.02.1996 को स्वीकृत करवा कर भूमि अपने नाम दर्ज करा ली जिसकी जानकारी वादीया व महताब को नही होने दी। प्रतिवादी संख्या 5 से 15 ने उक्त समस्त कार्यवाही छूपे तौर पर कुटरचित दस्तावेज के आधार पर महताब की कृषि भूमि हड़प करने के लिए करवा ली।

प्रतिवादी रोशनलाल व कुलदीप, गोविन्दराम, घीसेखॉ, बहुत ही चतुर चालाक किस्म के व्यक्ति है जो जमीनो की खरीद फरोख्त का कार्य करते है। चारों प्रतिवादीगण को इस बात की जानकारी थी कि वाद भूमि महताब की खातेदारी कृषि भूमि है महताब का कब्जा काश्त होने व महताब के जिवित होने की भी उक्त

उपखण्डाधिकारी(राजस्व)
भादरा जिला–हनुमानगढ़

प्रतिवादीगण को पुरी जानकारी थी उसके बावजूद प्रतिवादी रोशनलाल व कुलदीप ने 60 हिस्सा कृषि भूमि का एक बैयनामा प्रतिवादी प्रतापसिंह, बृजुसिंह, राजु, ओमवति, रोहताश, कालुसिंह, बजरिए माता ओमवति, सुन्दरसिंह पुत्र पालसिंह, सार्दुलसिंह से एक फर्जी बैयनामा अपने नाम तस्दीक करवाकर इन्तकाल नं0 376 अपने नाम तस्दीक करवा लिया। प्रतिवादी कुलदीप से प्रतिवादी घीसेखॉ ने 30 हिस्सा का बैयनामा दिनांक 02.01.2008 को अपने नाम करवाकर इन्तकाल नं0 841 स्वीकृत करा लिया।

प्रतिवादी गोविन्दराम ने दिनांक 09.01.1997 को 20 हिस्सा कृषि भूमि प्रतिवादी भंवरसिंह, अनोपसिंह, मंगनाकंवर, से अपने नाम जरिए बैयनामा खरीदकर इन्तकाल नं0 406 स्वीकृत करा लिया। प्रतिवादी गोविन्दराम से इसी 20 हिस्सा का बैयनामा दिनांक 04.02.2007 को प्रतिवादी घीसेखॉ ने अपने नाम कराकर इन्तकाल नं0 799 दर्ज करा लिया। इस प्रकार वर्तमान जमाबंदी मे महताब के नाम जो कृषि भूमि थी वह प्रतिवादी रोशनलाल 30 हिस्सा व घीसेखॉ 50 हिस्सा खातेदारी दर्ज है।

मु0 राजा महताब की पुत्री नही थी, ना ही उसकी वारिस एवं उतराधिकारी थी, मु0 राजा महताब के पति सुगनसिंह से बडी उम्र की उसकी सगी बहन थी। मु0 राजा महताब की ननद होने के कारण उसका वाद भूमि मे कोई हक हिस्सा नही था। महताब के जीवनकाल मे भी राजा का कोई हक एवं अधिकार महताब की कृषि भूमि मे प्राप्त नही हुवे थे। महताब की मृत्यु सन् 1977 मे नही हुई थी महताब के जीवित होने के समय ही मु0 राजा ने नगरपालिका सदस्य रामस्वरूप व हल्का पटवारी, गिरदावर व तत्कालिन नायब तहसीलदार से षड़यन्त्र कर महताब जो जिन्दा थी को मृत दिखाकर उसके स्थान पर मु0 राजा को उसकी पुत्री दिखाकर इन्तकाल उसके नाम स्वीकृत करा लिया। प्रतिवादी संख्या 5 से 15 ने राजा की मृत्यु होने के पश्चात राजा की जगह अपने नाम भूमि का इन्तकाल दर्ज करवा लिया।

महताब की मृत्यु दिनांक 27.03.1997 को गांव नुकेरा मे हुई थी महताब की मृत्यु के पश्चात वसीयत दिनांक 22.11.1996 के आधार पर कानूनी रूप से वादीया महताब के नाम दर्ज 4 किला कृषि भूमि की खातेदार कांश्तकार हो गई थी।

मु0 राजा को कुटरचित दस्तावेज के आधार पर कराऐ गऐ इन्तकाल नं0 51 से कोई हक व अधिकार महताब की कृषि मे प्राप्त नही हुवे थे व उसी कुटरचित के आधार पर दर्ज किऐ गऐ इन्काल के बाद राजा के वारिसान के नाम जो इन्तकाल दर्ज किया गया वह भी गैरकानूनी था उक्त गैरकानूनी इन्काल के आधार पर प्रतिवादी संख्या 1 से 4 ने अपने नाम फर्जी बैयनामे करवाकर इन्तकाल तस्दीक करा लिऐ जिससे प्रतिवादी संख्या 1 से 15 को किसी प्रकार से कोई हक व अधिकार महताब की कृषि भूमि मे प्राप्त नही हुवे थे।

वादीया न्यायालय से यह घोषणा कराने की अधिकारी है कि चक 8 बारानी के मुरब्बा नं0 130 के किला नं0 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21 कुल 2.024 हैक्टेयर बारानी कृषि भूमि मे दर्ज महताब का 1/2 हिस्सा जो खातेदारी था उसके स्थान पर वादीया वसीयत दिनांक 22.11.1996 के आधार पर 80 हिस्सा भूमि की खातेदार काश्तकार है बाद कराने घोषणा जमाबंदी से कलमजन करवाकर अपना नाम बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज कराने की अधिकारी है।

चुंकि मु0 राजो ने अपने नाम कुटरचित दस्तावेज के आधार पर महताब को जिन्दा होते हुवे मृत दिखाकर इन्तकाल अपने नाम दर्ज कराया था, इसलिए वादीया राजो के नाम दर्ज किऐ गऐ इन्काल संख्या 51 जो राजो पुत्री महताब बेवा सुजानसिंह

उपखण्डाधिकारी(राजस्व)
भादरा जिला–हनुमानगढ़

के नाम से दर्ज है, उसी के आधार पर प्रतिवादी संख्या 5 से 15 के नाम दर्ज किऐ गऐ इन्काल संख्या 371, व प्रतिवादी रोशनलाल, कुलदीप के नाम दर्ज इन्तकाल संख्या 376, प्रतिवादी गोविन्दराम के नाम दर्ज इन्तकाल संख्या 406, प्रतिवादी घीसेखॉ के नाम दर्ज इन्काल संख्या 799 व 841 को शुन्य एवं प्रभावहीन घोषित कराने की मजाज कानूनी है। चुंकि उक्त इन्तकाल राजो के नाम कुटरचित दस्तावेज के आधार पर आगे से आगे दर्ज किऐ होने के कारण बनुकाबिले वादीया क्लेअदम, बेअसर, शुन्य व प्रभावहीन है। अत वादीया इनके नाम दर्ज किऐ गऐ इन्तकालो को शुन्य व प्रभावहीन घोषित कराने की मजाज है। प्रतिवादी रोशनलाल, कुलदीपसिंह, घीसेखॉ, गोविन्दराम के नाम कराऐ गऐ बैयनामो के सम्बन्ध मे दिवानी न्यायालय मे अलग से चाराजोही की जा रही है।

प्रतिवादी घीसेखॉ व रोशनलाल ने वादीया को धमकी दी है कि वह उक्त कृषि भूमि मे प्लाट काटकर भूमि को अकृषि हेतु विक्रय करेगा ओर इस भूमि प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने भूमि की किस्म परिवर्तन कराऐ बिना सड़क निर्माण प्लाट काटने की कार्यवाही शुरू कर रखी है तथा वे किसी भी समय भूमि का स्वरूप परिवर्तन कर सकते है यदि प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ऐसा करने मे कामयाब हो गऐ तो उससे वादीया को ना पुरा होने वाला नुकसान होगा। वादीया प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के खिलाफ स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने की मजाज है कि वे वाद भूमि को रहन बैय या दिगर तरीके से अपने नाम दर्ज इन्द्राज का फायदा उठाकर हस्तान्तरण नही करे एवं ना ही भूमि का स्वरूप परिवर्तन करे। भूमि मे प्लाट काटकर विक्रय नही करे ना ही भूमि मे सड़क निर्माण करें। वादीया प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को वाद भूमि से बेदखल कर कब्जा भूमि प्राप्त करने की अधिकारी है।

वादीया वाद भूमि को निरस्तर कास्त करवाती आ रही थी व भूमि की फसल प्राप्त करती रही इसलिए वादीया को प्रतिवादीगण पर किसी प्रकार का शक सुबहा हुआ ना ही उक्त कुटरचित दस्तावेज व फर्जी नामान्तरण का ज्ञान हुआ। गत एक वर्ष से कस्बा भादरा मे कृषि भूमि की कीमतने काफी तेज हो गई व कृषि भूमि मे प्लाट काट कर बेचान करने का काम चरम सीमा पर है। इस वर्ष बरसात होने पर वादीया को प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने फसल काश्त नही कराने दी ओर भूमि से बेदखल कर दिया जिस पर वादीया को शक सुबहा हुआ तब वादीया ने तहसील कार्यालय से नकले प्राप्त की तब वादीया को उक्त समस्त फर्जकारी का ज्ञान हुआ। वादीया ने प्रतिवादीगण के खिलाफ पुलिस थाना भादरा मे भारतीय दण्ड संहिता की धारा 420, 467, 468, 471, 120 बी के अन्तर्गत मुकदमा दर्ज करा रखा है।

वादीया ने प्रतिवादीगण से वाद भूमि मे वादीया को उक्त 4 बिघा का उसे खातेदार काश्तकार घोषित कराने व भूमि को रहन बेय मुन्तकिल नही करने व किस्म परिवर्तन नही करने, वाद भूमि वादीया को सम्भला देने के लिए कहा तो वे कल कमुकाम भादरा ऐसा मानने से साफ इन्कार हो गऐ।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त प्रतिवादी सं0 1 व 2 की ओर से जबाबदावा पेश हुआ। प्रतिवादी सं0 3 ता 16 बावजूद तामील उपस्थित नहीं आने के कारण उनके विरूद्ध एक पक्षिय कार्यवाही अमल में लाई गई।

वाद एवं परिवाद के आधार पर तनकीयात कायम की गई।

1. आया कि वादभूमि चक नं0 8 बारानी के मुरबा नं0 130 के किला नं0 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21 कुल 2.024 है0 बारानी कृषि भूमि में वादिया की सगी बुआ महताब को 1/2 हिस्सा खातेदारी में महताब द्वारा वादिया के पक्ष में निष्पादित वसीयत दिनांक 22.11.1996 के आधार पर उक्त 1/2 हिस्सा वादिया

उपखण्डाधिकारी(राजस्व) भादरा जिला-हनुमानगढ़

खातेदार घोषित करवाने पाने की कानूनी अधिकारीणी है तथा बाद करने उक्त घोषणा जमाबन्दी हाल से प्रतिवादी घीसे खां व रोशनलाल का नाम कलमजन करवाकर जमाबन्दी दुरूस्त करवा पाने की मजाज है ?

— वादिया

2. आया कि प्रतिवादीगण सं0 1 से 15 की मोरूस राजो के नाम दर्ज किये गये इन्तकाल सं0 51 व उसके आधार पर प्रतिवादी सं0 5 से 15 के नाम दर्ज किये गये इन्तकाल सं0 371 व प्रतिवादी रोशनलाल, कुलदीप के नाम दर्ज इन्तकाल सं0 376, प्रतिवादी गोविन्दराम के नाम दर्ज इन्तकाल सं0 406, प्रतिवादी घीसे खां के नाम दर्ज इन्तकाल सं0 799 व 841 बहक वादिया शुन्य व प्रभावहीन है ?

— वादिया

3. आया कि वादभूमि को रहन, बैय व दिगर तरीके से अपने नाम दर्ज इन्द्राज का फायदा उठाकर हस्तान्तरण नहीं करे एवं ना ही वाद भूमि का स्वरूप परिवर्तन करे, भूमि में प्लाट काट कर विक्रय नहीं करे, ना ही भूमि में सड़क निर्माण करे, के सम्बन्ध में वादिया प्रतिवादीगण सं0 1 व 2 के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने की अधिकारिणी है ?

— वादिया

4. आया कि वादिया वाद भूमि से प्रतिवादीगण सं0 1 व 2 को बेदखल कर कब्जा भूमि का प्राप्त करने की अधिकारीणी है ?

— वादिया

5. अनुतोष ?

साक्ष्य वादिया में इन्दरा पुत्री चिमनाराम, विनोद पुत्र झाबरराम, सुभाष पुत्र श्री नीकाराम के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में जमाबन्दी प्रदर्श 1, प्रदर्श 2, नकल नामान्तकरण प्रदर्श 3 से 11, दरख्वास्त प्रदर्श 12 व वसीयत प्रदर्श 12ए, जमाबन्दी भूप्रबन्ध विभाग सम्वत् 2029 से 38 प्रदर्श 13 जमाबन्दी सम्वत् 2045 प्रदर्श 14, जमाबन्दी भूप्रबन्ध विभाग सम्वत् 2019 प्रदर्श 15 व 16 प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत नुईयां, प्रमाणित प्रति फर्द अहकाम अर्जीदावा जबाबदावा प्रदर्श 18 से 20 प्रदर्शित करवाये।

साक्ष्य प्रतिवादी में प्रतिवादी रोशनलाल के बयान करवाये।

बहस वकील उभय पक्षकारान सुनी गई। पत्रावली का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत वाद में 4 तनकीयात कायम की गई है चारों तनकीयात साबित करने का भार वादिया पर है। तनकीवार निर्णय इस प्रकार है :—

**तनकी सं0 1** वादीया ने हस्तगत वाद मे 1/2 हिस्सा भूमि की खातेदार काश्तकारी अधिकार की घोषणा वसीयत दिनांक 22.11.1996 प्रदर्श 12ए के आधार पर चाही है इस सन्दर्भ मे वादीया द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के विवेचन मे वादीया ने जो अपनी प्रतिपरीक्षा के पृष्ट संख्या 2 मे कथन किया है कि वह नही बता सकती है कि महताब की अन्तिम वसीयत कब लिखी थी व किसके पक्ष मे लिखी थी तथा वसीयत प्रदर्श 12ए तहसीलदार के समक्ष पंजीकृत कराना व महताब द्वारा वसीयत कराने के वक्त उस समय जमीन गैरखातेदारी होना तथा इस बात को स्वीकार किया है कि मैने जिनके खिलाफ दावा किया है कब्जा उनका है मैने कब्जा लेने के लिए दावा किया है तथा विवादित जमीन के कभी कागज नही देखना स्वीकार किया है इस प्रकार वादीया ने जो वसीयत प्रदर्श 12ए प्रस्तुत की है वह महताब द्वारा कि गई अन्तिम वसीयत नही है क्योंकि वादीया स्वयं स्वीकार करती है कि महताब ने अन्तिम वसीयत कब और किसके पक्ष मे कि मुझे पता नही वादीया ने महताब द्वारा प्रदर्श 12ए निष्पादित करने के वक्त विवादित भूमि को गैर खातेदारी होना वादीया ने स्वीकार करती है, जबकि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 39 के अन्तर्गत वसीयत केवल खातेदार कर सकता है इसके अलावा वादीया ने कब्जा प्रतिवादीगण का होना व दावा मे कब्जा लेने की मांग करने के कथन वादीया ने अपनी प्रतिपरीक्षा मे स्वीकार किए है। वादीया ने अपने दावे में प्रदर्श 10 नामान्तरण अपने साक्ष्य मे

उपखण्डाधिकारी(राजस्व)
भादरा जि...

प्रदर्शित करवाया है उक्त नामान्तरण मे 20 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 घीसे खॉ को जरिऐ बैयनामा प्राप्त हुई है व प्रदर्श 8 नामान्तरण जो वादीया ने अपनी साक्ष्य मे प्रदर्शित करवाया है उसमे 30 हिस्सा भूमि प्रतिवादी रोशनलाल व 30 हिस्सा भूमि कुलदीप सिंह पुत्र प्रतापसिंह जरिऐ बैयनामा प्राप्त होना दर्ज है उक्त बैयनामो को सक्षम न्यायालय मे चुनौती दी जाकर निरस्त करवाया हो ऐसी भी कोई साक्ष्य पत्रावली मे मौजूद नही है वादीया ने जो अपने साक्ष्य मे गवाह विनोद जो पेश किया है उसने अपनी प्रतिपरीक्षा मे कहा है कि मैने प्रदर्श 5ए पर रामजीलाल के हस्ताक्षर मेरे सामने हुए थे मैने भी उसी कागज पर हस्ताक्षर किये है जिस पर रामजीलाल के हस्ताक्षर है उसी लिखा पढ़ी पर बयान देने आया हूँ जबकि लिखा पढ़ी पर रामजीलाल के हस्ताक्षर नही है तथा यही तथ्य दुसरा गवाह सुभाष अपनी प्रतिपरीक्षा मे स्वीकार करता है कि वसीयत लिखने वाला रामजीलाल था तथा रामजीलाल ने वसीयत पर हस्ताक्षर किये थे जबकि प्रदर्श 12ए पर किसी रामजीलाल के हस्ताक्षर नही है इस प्रकार वादीया के प्रति वसीयत का निष्पादन भी साबित नही होता है इसलिए तनकी संख्या 1 विरूद्ध वादीया निर्णित की जाती है जहां तक तनकी संख्या 2 का संबंध है उसकी बाबत राजो महताब की उतराधिकारी नही हो राजो का महताब से कोई संबंध नही हो ऐसी कोई साक्ष्य वादीया ने प्रस्तुत नही की है तथा महताब ने अपने जीवनकाल मे कोई वसीयत करना व वादीया के पक्ष मे वसीयत का निष्पादन होना तनकी संख्या 1 के विवेचन से वादीया साबित नही कर पाई है प्रतिवादी रोशनलाल व कुलदीप व घीसेखॉ के नाम जो नामान्तरण दर्ज हुए है वह बैयनामो के आधार पर दर्ज हुए है उक्त बैयनामो को किसी न्यायालय द्वारा निरस्त किया गया हो ऐसी कोई साक्ष्य व सबूत वादीया ने पत्रावली मे प्रस्तुत नही किया है। इसलिए उक्त सभी नामान्तरण विधिसम्मत इस प्रकार यह तनकी वादीया अपने पक्ष मे साबित नही कर पाई है इसलिए यह तनकी विरूद्ध वादीया निर्णित की जाती है तनकी संख्या 3 का निर्णय 1 व 2 पर आधारित है क्योंकि वादीया वाद भूमि के बाबत अपने आपको किसी श्रेणी की कोई काश्तकार साबित नही कर पाई है न ही वादीया का वाद भूमि मे कोई हक हिस्सा साबित हुआ है इसलिए प्रतिवादीगण के विरूद्ध किसी प्रकार की स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी नही है यह तनकी भी विरूद्ध वादीया निर्णित की जाती है जहां तक तनकी संख्या 4 का संबंध है वादीया वाद भूमि मे अपना हक हिस्सा साबित करने मे कतई असफल हुई है इसलिए वादीया वाद भूमि का खर्चा प्राप्त करने की अधिकारी नही है इस प्रकार यह तनकी भी विरूद्ध वादीया निर्णित की जाती है।

चूंकि तनकी संख्या 1 से 4 विरूद्ध वादीया निर्णित की गई है तथा वादीया अपना वाद साबित करने मे असफल रही है फलस्वरूप वाद वादीया खारिज किये जाने योग्य होने के कारण खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 20/12/18 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा जिला हनुमानगढ़

(राजकुमार कस्वा)
उपखण्डाधिकारी(राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़
R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
भादरा, जिला हनुमानगढ़

## पर्चा डिक्री

# न्यायालय : उपखण्ड अधिकारी भादरा, जिला हनुमानगढ़

**पीठासीन अधिकारी : श्री राजकुमार कस्वां आर.ए.एस.**

**प्रकरण सं0 : 280/2011**

अनवान :

इन्दरा पुत्री चिमनाराम पत्नि जगदीश जाति राजपूत निवासी नुकेरा तहसील संगरिया हाल निवासी नुईयावाली तहसील डबवाली।

**– वादीया**

**बनाम**

1. धीसेखॉ वल्द जमालुदीन व्यापारी निवासी वार्ड संख्या 11 भादरा।
2. रोशनलाल पुत्र बनवारीलाल जाति महाजन निवासी वार्ड संख्या 21 भादरा।
3. कुलदीप पुत्र प्रतापसिंह जाति कलाल निवासी झांसल तहसील भादरा।
4. गोविन्दराम पुत्र नागरमल जाति महाजन निवासी भादरा।
5. मंगनाकंवर बेवा करनीसिंह जाति राजपूत निवासी भादरा।
6. भंवरसिंह पुत्र करनीसिंह जाति राजपूत निवासी भादरा।
7. अनुपसिंह पुत्र करनीसिंह जाति राजपूत निवासी भादरा।
8. प्रतापसिंह पुत्र देवीसिंह जाति राजपूत निवासी भादरा।
9. बृजसिंह पुत्र देवीसिंह जाति राजपूत निवासी भादरा।
10. राजु पुत्र देवीसिंह जाति राजपूत निवासी भादरा।
11. ओमवती बेवा पालसिंह जाति राजपूत निवासी भादरा।
12. रोहताश पुत्र पालसिंह जाति राजपूत निवासी भादरा।
13. सुन्दर पुत्र पालसिंह जाति राजपूत निवासी भादरा।
14. कालु पुत्र पालसिंह जाति राजपूत निवासी भादरा।
15. सार्दुलसिंह पुत्र शोभासिंह जाति राजपुत निवासी भादरा।
16. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार राजस्व भादरा।

**– प्रतिवादीगण**

आज यह वाद मुझ राजकुमार कस्वा उपखण्ड अधिकारी भादरा के समक्ष वकील वादिया श्री दीवानसिंह एवं वकील प्रतिवादीगण सं0 1 व 2 श्री कपूरचन्द शर्मा की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं वाद वादिया साबित करने में असफल रहने के कारण खारिज किया जाता है।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 20.12.18 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

**(राजकुमार कस्वा)**
**R.A.S.**
**उपखण्ड अधिकारी**
**भादरा, जिला हनुमानगढ़**